संख्या-सम्ब0-154/सत्तर-2-2014-2(154)/2014

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
एम0जे0पी0 रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

लखनऊः दिनांक 07 मई, 2014

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

विषय:-स्प्रिंगडेल महिला महाविद्यालय, बरेली में संचालित बी0एड0 पाठ्यक्रम को, नवीन परिसर, दोहना, पीतमराय, नैनीताल रोड, बरेली में स्थानान्तरित करने तथा शिक्षण की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-रू0वि0/सम्ब0/2014/18722-23 दिनांक 09.04.2014 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा स्प्रिंगडेल महिला महाविद्यालय, बरेली में संचालित बी0एड0 पाठ्यक्रम को नवीन परिसर, दोहना, पीतमराय, नैनीताल रोड, बरेली में सत्र 2014-15 से स्थानान्तरित करने तथा शिक्षण की अनुमति प्रदान किये जाने की संस्तुति की गई है।

2- इस संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन स्प्रिंगडेल महिला महाविद्यालय, बरेली में संचालित बी0एड0 पाठ्यक्रम को, नवीन परिसर दोहना, पीतमराय, नैनीताल रोड, बरेली में (सत्र 2014-15 से) स्थानान्तरित करने एवं शिक्षण की अनुमति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:-

(1) विश्वविद्यालय द्वारा संस्था से नवीन परिसर का सक्षम स्तर से प्रमाणित मानचित्र, प्रबंध समिति के अनुमोदन एवं सक्षम स्तर से निर्गत एन0बी0सी0-2005 का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा।

(2) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

(3) महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र में होने

-2-

Mahavidyalaya

वाली प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउंसिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन-पाठन कराया जायेगा।

(4) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

(5) संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
अनु सचिव।

संख्या-सम्ब0-154 (1)/सत्तर-2-2014, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए-46, शान्तिपथ, तिलक नगर, जयपुर।
(2) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) कुलसचिव, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी (परीक्षा संचालक)
(4) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
(5) सचिव/प्रबन्धक, स्प्रिंगडेल महिला महाविद्यालय, बरेली।
(6) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिराभवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
(7) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री (श्रीमती अनीता सिंह), उ0प्र0शासन।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
अनु सचिव।

HEAD
B. Ed. ...
Springdale Mahila ... vidyalaya
BAREILLY